

फर्द अहकाम

श्रीमती सुल्ता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

बनाम महापालिका

धारा 111-128 वाद/प्रा0प0/अपील 16/18 प्र0सं0 /15

21 बाद जाँच वाद/प्रा0प0/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना कलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 28.3.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ

28.3.18

पत्रावली पेश उभयपक्ष

उपस्थित/प्रीतासीन अधिकारी जी

उत्प. वा.प. म. 042-1 पत्रावली

दिनांक 11.4.18 को पेश हो।

21/4  
आदेश से रीडर

31.5.18

पत्रावली पेश उभयपक्ष

उपस्थित/प्रीतासीन अधिकारी जी

उत्प. वा.प. म. 042-1 पत्रावली

दिनांक 9.5.18 को पेश हो।

21/5  
आदेश से रीडर

31.5.18

पत्रावली केट केम्प हमीरगढ पर पेश। पत्रावली उलगासि लिखवा जाकर शामिल पत्रावली विपक्ष गप। पत्रावली पत्राल सुमाइ हो कर गाम्बई से काम हो।

प्रीतासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा

न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प हमीरगढ

पीठसीन अधिकारी:-रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या:- 16/18

1.-श्रीमति पुष्पादेवी पत्नि नवरतनमल हींगण जाति हींगड निवासी भीलवाडा

---प्रार्थीगण

बनाम

- 1:- श्री भगवान पिता लक्ष्मण बलाई जाति बलाई निवासी हमीरगढ
- 2:- श्री नाथू पिता लक्ष्मण बलाई जाति बलाई निवासी हमीरगढ
- 3:- श्री देबीलाल पिता लक्ष्मण बलाई जाति बलाई निवासी हमीरगढ
- 4:- श्रीमति कमला पुत्री लक्ष्मण बलाई जाति बलाई निवासी हमीरगढ
- 5:- श्रीमति मुन्नी पुत्री लक्ष्मण बलाई जाति बलाई निवासी हमीरगढ
- 6:- श्रीमति उदी पुत्री लक्ष्मण बलाई जाति बलाई निवासी हमीरगढ
- 7:- श्री भेरूलाल पिता टेका बलाई जाति बलाई निवासी हमीरगढ
- 8:- श्रीमति लादी पुत्री टेका बलाई जाति बलाई निवासी हमीरगढ
- 9:- श्रीमति जेतू बेवा टेका बलाई जाति बलाई निवासी हमीरगढ
- 10:-श्री जालम पिता नंग जी बलाई जाति बलाई निवासी हमीरगढ
- 11:-श्री बाबू पिता नंग जी बलाई जाति बलाई निवासी हमीरगढ
- 12:-मु0 प्यारी बेवा घीसू बलाई जाति बलाई निवासी हमीरगढ
- 13:-श्री सत्यनारायण पिता भंवरलाल जाति खटीक निवासी हमीरगढ
- 14:-राजरथान राज्य जरिये तहसीलदार साहब भीलवाडा।

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::


दिनांक:-31/05/2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प हमीरगढ पर पेश प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1322/3, 1327/5 कुल किता 2 रकबा 00 बीघा 12 बिस्वा 5 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता जाता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12/02/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंधदान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हमीरगढ की आराजी नम्बर 1322/3, 1327/5 कुल किता 2 रकबा 00 बीघा 12 बिस्वा 5 भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ को 1300/-रु० (अक्षरे- तेरह सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। अगर फसल खडी हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ श्रीलवाड़ा  
हमीरगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ श्रीलवाड़ा